न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

तैनात अधिकारी : श्री घनश्यामलाल शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 168/2013

वादीगण :-

1. हीरा बेवा बचनाराम
2. पोकर पुत्र बचनाराम
3. सोहन पुत्र बचनाराम
4. अगरा पुत्र बचनाराम
5. रागलाल पुत्र बचनाराम
6. पारस पुत्र बचनाराम

जातियान-कुमावत निवासीगण-
बेरा जाकेटिया खिनावडी
तह.-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र गोपा
2. रूपा पुत्र गोपा
3. सुरेश पुत्र चौथा
4. सुनिल पुत्र चौथा
5. ममता पुत्री चौथा
6. सुमन पुत्री चौथा
7. मांगू पुत्र रावत
8. लालु पुत्र रावत
9. बीजा पुत्र उम्मेद

जातियान-कुमावत,
निवासीगण-बेरा जाकेटिया
खिनावडी, तह.-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

10. तहसीलदार, जैतारण
(भूमिधारक)
तह.-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंध्याढ़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, ता0रजू: 10/06/2013

उपस्थितः 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/06/2015

वकील गय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद गौजा-खिनावडी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता नम्बर 94 व 8 है एवं गिराल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति संवत 2011 से 2030 तक और जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2067 से 2070 एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति इस वाद-पत्र के साथ संलग्न है। जो वाद-पत्र का एक भाग माना जावे, जो खसरा नम्बरान खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 43, रकबा 4-02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 46, रकबा 9-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 53, रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 55, रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 57, रकबा 3-16 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 58, रकबा 11-07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 64, रकबा 4-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 68, रकबा 5-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ता-8 कुल रकबा 41-01 बीघा तथा खाता संख्या 8, खरारा नम्बर 37 रकबा 4-12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या-8 खसरा नम्बर-44 रकबा-0-13 घा किस्म-गैर मुमकिन, कुल खसरा-2, कुल रकबा- 15-05 बीघा की आई हुई है। क्त आराजी की कृषि भूमि वक्त सैटलमेन्ट से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा म्मेद पुत्र नंदा के नाम की खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की थी। उम्मेद पुत्र नंदा के ोत होने के बाद वादीगण के पिता के नाम खातेदारी में नाम दर्ज किया गया, फिर इसके बाद वादीगण के पिता बचनाराम के फौत होने के बाद जरिये फौतदगी म्यूटेशन के वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वादीगण का वंशावली अनुसार मूल पुरूष उम्मेद पुत्र नंदा फौत के वारिशान गौपा (फौत), रावत (फौत), बचना (फौत), बींजा, गौपा (फौत) के वारिशान बगदा, चौथा(फौत) रूपा तथा चौथा (फौत) के वारिसान सुरेश, सुनिल, ममता व सुमन हुई। रावत (फौत) के मांगू , लालू व बचना (फौत) के हीरा , पोकर, सोहन, अमरा, रामलाल, पारस है। उक्त वंशवृक्षावली के अनुसार खाता संख्या 94 में वर्णित आराजी कि कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या एक से छः तक का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 का 1/4 हिस्सा है और प्रतिवादीगण संख्या 9 बींजा का 1/4 हिस्सा है और खाता संख्या 8 में वर्णित आराजी की कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का 1/4 यानि 1/8 हिस्सा वादीगण का है। प्रतिवादीगण संख्या एक से छः तक का 1/2 का 1/4 यानि 1/8 हिस्सा है। इसी हिस्से माफिक पूर्वजों के समय से उक्त आराजी की कृषि भूमि में मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है और शातिपूर्वक अपने-अपने हिस्से माफिक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मनागना मौके पर सहमति से पारिवारिक बंटवाडा के अनुसार अलग-अलग काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि मनागना पूर्वजों के समय से बंटी हुई हैं। परन्तु कानूनी रूप से बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा किया हुआ नही है। इसलिए वादीगण उक्त आराजी की कृषि भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर नक्शा लट्टा ट्रेस में अपना हिस्सा तरमीम करवाना चाहते है। इसलिये वाद-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वर्णित खाता संख्या 94 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 8 में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का 1/4 यानि 1/8 हिस्सा अपना हिस्सा अलग करवाकर अपना हिस्सा लट्टा नक्शा ट्रेस में बटा मीन नम्बर लगवाकर तरमीम करवाना चाहते है और उक्त किस्म की खेती करना चाहता है, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद न हो एवं वादीगण अपनी स्वेच्छा से खेती करके अच्छी फसल ले सके। प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बार-बार कहने पर भी कानूनी रूप में बंटवाड़ा करवाकर तरमीम नही करवा रहे है और लाठी के बल पर वादीगण को इनके हिस्से की कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल रखना चाहते है। वादीगण गरीब काश्तकार है। काश्त करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते है। यदि लाठी के बल पर प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ तक ने मिलकर वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल कर दिया एवं काश्त नही करने दी, तो वादीगण का अपनी आजीविका से वंचित रह जायेगे एवं भूखे मरने की नौबत आयेगी एवं वादीगण अपने कानूनी जायज हक-हकूकों एवं अधिकारों से वंचित रह जायेगे। वादीगण खातेदार काश्तकार हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। इसलिये प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, न कानून हाथ में लेने का अधिकार है। वादीगण को वाद-पत्र के पैरा संख्या क में वर्णित खाता संख्या 94 व 8 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रा नम्बरान की कृषि भूमि पर हिस्से माफिक कब्जा-काश्त है, जो इनको अपने से की एवं कब्जे-काश्त की कृषि भूमि का कानूनी रूप में बाई मिटस् एण्ड ण्डस् बंटवाडा करवाकर मौके पर हिस्से माफिक पत्थरगड्डी करवा कर नक्शे लट्ठा तरमीम करवाकर खाता अलग करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिये वाडा का वाद-पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण को बेदखल करके उक्त सम्पूर्ण आराजी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या एक से छः तक गैरकानूनी रूप से कब्जा करना हते है एवं बेदखल करना चाहते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बंटवाड़े का र-बार कहने पर भी नही मान रहे है एवं वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में ाश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है जो वादीगण ऐसा हरगिज नहीं करने देगे और तिवादीगण का ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण द्वारा नांक 12/04/2013 को बंटवाडा नही करने एवं लाठी के बल पर बेदखल करने की लानिया धमकी दे रहे है। यदि वादीगण को बेदखल कर दिया, तो वादीगण को पूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सुरत में संभव नही होगी, विविध कार की कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी एवं खर्चे से जैरबार होना पड़ेगा, जिस पर दीगण पटवारी हल्का-फूलमाल के पास गये एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति दिनांक 15/04/2013 को प्राप्त की। इसलिए वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण के विरुद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद-पत्र पेश किया हैं, जो वादीगण का हिस्सा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा किया जाकर पत्थरगड्डी करने एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करके खाता अलग करने का आदेश फरमावे। इसलिए वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा हैं, जो आज ही नोटिस डिसपेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर होने के कारण एवं बंटवाड़ा करने का अधिकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया, जो कानूनी है। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 9 तक सह खातेदारान पक्षकार है एवं बंटवाड़ा का वाद-पत्र होने के कारण इनको पक्षकार बनाया गया है। बिनायदावा उक्त वर्णित खाता संख्या 94 व 8 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का बंटवाडा करने का दिनांक 12/04/2013 को प्रतिवादीगण को कहा, तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया एवं ऐलानिया धमकी दी कि वादीगण को लाठी के बल पर बेदखल कर देगे एवं मौके पर काश्त नही करने देगे एवं मौके पर कब्जा करके रहेगे, तब वादीगण हल्का पटवारी फूलमाल से दिनांक 15/04/2013 को नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति दिनांक 24/04/2013 को प्राप्त करने पर बमुकाम ग्राम-खिनावडी में पैदा हुआ, जो श्रीमान्जी के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने के कारण अन्दर म्याद यह वाद-पत्र पेश किया जा रहा है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - फूलमाल में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-खिनावडी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बरान खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 43, रकबा 4-02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 46, रकबा 9-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 53, रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 55, रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 57, रकबा 3-16 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 58, रकबा 11-07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 64, रकबा 4-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 68, रकबा 5-17 बीघा किस्म

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रथम, कुल किता–8 कुल रकबा 41–01 बीघा तथा खाता संख्या 8, खसरा नं 37 रकबा 14–12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या–8 खसरा नम्बर–44 रकबा–0–13 बीघा किस्म–गैर मुमकिन, कुल खसरा–2, कुल रकबा– 15–05 बीघा स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया कि उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा / विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका व विभाजन प्रस्ताव आज दिनांक 03/06/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा एवं बँटवाड़ा रिपोर्ट अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–खिनावडी, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बरान खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 43, रकबा 4–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 46, रकबा 9–11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 53, रकबा 0–08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 55, रकबा 0–08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 57, रकबा 3–16 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 58, रकबा 11–07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 64, रकबा 4–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 68, रकबा 5–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल किता–8 कुल रकबा 41–01 बीघा तथा खाता संख्या 8, खसरा नम्बर 37 रकबा 14–12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या–8 खसरा नम्बर–44 रकबा–0–13 बीघा किस्म–गैर मुमकिन, कुल खसरा–2, कुल रकबा–15–05 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	पोकरराम सोहनलाल अमराराम पारसमल रामलाल पि0 बचनाराम हीरादेवी पत्नि बचनाराम कौम–कुमावत सा0 देह खातेदार।	37/1 53 55 57	7-06-00 0-08-00 1-06-00 3-03-00	चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0	31.02 रू0 1.70 रू0 5.52 रू0 13.15 रू0
योग		4	12-03-00	चा0प्र0	
2	मांगू लालू पि0 रावत बीजा पुत्र उग्मेद सुरेश सुनिल पि0 चौथा ममता सुगन पुत्री चौथा, बगदाराम रूपा पि0 गोपू कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार। रहन–मांगू, बगदा, रूपा, हि0 एम.जी. बी. शाखा–जैतारण।	43 46 58 64 65 57/1	4-02-00 9-11-00 11-07-00 4-17-00 5-14-00 0-13-00	चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0	17.42 रू0 40.59 रू0 48.24 रू0 20.61 रू0 24.22 रू0 3.00 रू0
योग		6	36-04-00	चा0प्र0	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

माणकराम पुत्र आसूराम 1/2 अन्ना जैराम पि0 रामींग 1/2 कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार। रहन–अन्ना, जैराम का हि0 पीसीसीबी जैतारण	37	7-06-00	चा0प्र0	31.03 रू0
माणकराम पुत्र आसूराम 1/4 अन्ना जैराम पि0 रामींग 1/4 मांगू लालू पि0 रावत बींजा पुत्र उम्मेद पोकरराम सोहनलाल अमराराम पारसमल रामलाल पि0 बचना हीरादेवी पत्नि बचना, बगदा रूपा पि0 गोपा सुरेश सुनिल पि0 चौथा ममता सुमन पुत्रियाँ चौथा 1/2 कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार। रहन–बगदा, चौथा, रूपा, मांगू का हिस्सा एम0जी0बी0 शाखा–जैतारण।	44	0-13-00	गै0मु0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–फूलमाल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्यामम शर्मा, आर०ए०एस०

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. हीरा बेवा बचनाराम
2. पोकर पुत्र बचनाराम
3. सोहन पुत्र बचनाराम
4. अमरा पुत्र बचनाराम
5. रामलाल पुत्र बचनाराम
6. पारस पुत्र बचनाराम

जातियान-कुमावत निवासीगण-
बेरा जाकेटिया खिनावडी
तह.-जैतारण जिला-पाली

1. बगदाराम पुत्र गोपा
2. रूपा पुत्र गोपा
3. सुरेश पुत्र चौथा
4. सुनिल पुत्र चौथा
5. ममता पुत्री चौथा
6. सुमन पुत्री चौथा
7. मांगू पुत्र रावत
8. लालु पुत्र रावत
9. बींजा पुत्र उम्मेद

जातियान-कुमावत,
निवासीगण-बेरा जाकेटिया
खिनावडी, तह.-जैतारण
जिला-पाली (राज०)

10. तहसीलदार, जैतारण
(भूमिधारक)
तह.-जैतारण जिला-पाली

मु०न० :रा०वा० स०:168/2013

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री भवगती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा एवं बँटवाड़ा रिपोर्ट अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खिनावडी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज०) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बरान खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 43, रकबा 4-02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 46, रकबा 9-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 53, रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 55, रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 57, रकबा 3-16 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 58, रकबा 11-07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 64, रकबा 4-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 68, रकबा 5-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल किता-8 कुल रकबा 41-01 बीघा तथा खाता संख्या 8, खसरा नम्बर 37 रकबा 14-12 बीघा किस्म चाही प्रथम, खाता संख्या-8 खसरा नम्बर-44 रकबा-0-13 बीघा किस्म-गैर मुमकिन, कुल खसरा-2, कुल रकबा-15-05 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	पोकरराम सोहनलाल अमराराम पारसमल रामलाल पि० बचनाराम हीरादेवी पत्नि बचनाराम कौम-कुमावत सा० देह खातेदार।	37/1	7-06-00	चा०प्र०	31.02 रू०
		53	0-08-00	चा०प्र०	1.70 रू०
		55	1-06-00	चा०प्र०	5.52 रू०
		57	3-03-00	चा०प्र०	13.15 रू०
	योग	4	12-03-00	चा०प्र०	

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गांगू, लालू पि0 रावत बीजा पुत्र उग्मेद सुरेश सुनिल पि0 चौथा ममता सुगन पुत्री चौथा, बगदाराम रूपा पि0 गोपू कौम-कुम्हार सा0 देह खातेदार। रहन-गांगू, बगदा, रूपा, हि0 एम.जी.बी. शाखा-जैतारण।	43	4-02-00	बा0प्र0	17.42 रू0
	46	9-11-00	बा0प्र0	40.59 रू0
	58	11-07-00	बा0प्र0	48.24 रू0
	64	4-17-00	बा0प्र0	20.61 रू0
	65	5-14-00	बा0प्र0	24.22 रू0
	57/1	0-13-00	बा0प्र0	3.00 रू0
योग	6	36-04-00	बा0प्र0	
माणकराम पुत्र आसूराम 1/2 अना जैराम पि0 रामींग 1/2 कौम-कुम्हार सा0 देह खातेदार। रहन-अना, जैराम का हि0 पीसीसीबी जैतारण	37	7-06-00	बा0प्र0	31.03 रू0
माणकराम पुत्र आसूराम 1/4 अन्ना जैराम पि0 रामींग 1/4 गांगू लालू पि0 रावत बीजा पुत्र उग्मेद पोकरराम सोहनलाल अमराराम पारसमल रामलाल पि0 बचना हीरादेवी पत्नि बचना, बगदा रूपा पि0 गोपा सुरेश सुनिल पि0 चौथा ममता सुगन पुत्रियाँ चौथा 1/2 कौम-कुम्हार सा0 देह खातेदार। रहन-बगदा, चौथा, रूपा, गांगू का हिस्सा एम0जी0बी0 शाखा-जैतारण।	44	0-13-00	गै0मु0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फूलमाल पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	02-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner